

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-06012022-232474
SG-DL-E-06012022-232474

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 2022/पौष 16, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 367
No. 18]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 2022/PAUSHA 16, 1943	[N. C. T. D. No. 367

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 5 जनवरी, 2022

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के सदस्यों के सहयोजन के चुनाव का परिणाम

सं. एफ.1/471/गु.चु.नि./2021/6946.—दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 (1971 का 82वाँ) की धारा 4 के खंड (ब) के उप-खंड (iii) के अन्तर्गत, जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (सदस्यों का सहयोजन) नियम, 1974 के नियम 5 के उप-नियम (3) के सहित पठित, प्रावधानों के अनुसरण में, स. हरजिंदर सिंह धामी पुत्र स. नरंजन सिंह, वीपीओ पीपलनवाला, होशियारपुर, पंजाब, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, अमृतसर के नामित, को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के एक सदस्य हेतु सहयोजन की घोषणा की जाती है।

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 05.01.2022

नरिंदर सिंह, निदेशक (गुरुद्वारा चुनाव)

DIRECTORATE OF GURDWARA ELECTIONS**NOTIFICATION**

Delhi, the 5th January, 2022

Result of Election for Co-option of Members to the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee

No. F. 1/471/DGE/2021/6946.—In pursuance of the provisions of sub-clause (iii) of clause (b) of Section 4 of the Delhi Sikh Gurdwaras Act, 1971 (82 of 1971) read with sub-rule (3) of Rule 5 of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (Co-option of Members) Rules, 1974, S. Harjinder Singh Dhami S/o S. Naranjan Singh, VPO Piplanwala, Hoshiarpur, Punjab, a nominee of Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee, Amritsar is declared as Co-opted as a Member of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee.

Place: Delhi

Dated: 05.01.2022

NARINDER SINGH, Director (Gurdwara Elections)